**धनीय अधिकारिता के बारे में आक्षेप**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

न्यायालय की धनीय अधिकारिता के बारे में आक्षेप

प्रतिवादी निम्नलिखित रूप में इस विद्वान् न्यायालय की अधिकारिता के बारे में अपने आक्षेप को अति सादर पूर्वक प्रस्तुत करता है

1. यह कि ............... में एक मुन्सिफ की धनीय अधिकारिता मात्र ...............रुपये तक की है।
2. यह कि वादी ने न्यायालय फीस की मात्र तामील करने तथा उस न्यायालय की धनीय अधिकारिता के अन्दर मामले को लाने के लिए वाद का कम मूल्यांकन किया है।
3. यह कि यह समीचीन है कि वाद का समुचित रूप से मूल्यांकन किया जाय और यदि मूल्याकंन.............रुपये से अधिक होना पाया जाता है तो वादी से वादपत्र पर उचित न्यायालय फीस का संदाय करने के लिए कहा जाय और वाद को सिविल न्यायाधीश की न्यायालय से स्थानान्तरित कर दिया जाय।यह तदनुसार प्रार्थना की जाती है।

**प्रतिवादी आक्षेप कर्ता**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान...**

**तारीख...**